संख्या–2212 /33–3–2019–34 /2019

प्रेषक,

बाबू लाल मीणा,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

1– **निदेशक,**
पंचायतीराज,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

2– **समस्त जिलाधिकारी,**
उत्तर प्रदेश।

पंचायतीराज अनुभाग– 3 लखनऊ दिनांक– 18 सितम्बर, 2019

विषयः– 14वें वित्त आयोग के निष्पादन अनुदान वित्तीय वर्ष 2016–17 के लिए पंचायतीराज मंत्रालय भारत सरकार द्वारा लिए गये निर्णय के क्रम में ग्राम पंचायतों से पुनः आवेदन प्राप्त करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक भारत सरकार वित्त आयोग प्रभाग, वित्त मंत्रालय भारत सरकार के पत्रांक–13(32) एफ0एफ0सी0 / एफ0सी0डी0 / 2015–16, दिनांक–08.10.2015 द्वारा 14वें वित्त आयोग (वर्ष 2015–20) की संस्तुतियों के अन्तर्गत निर्गत मार्ग–निर्देशों के अनुसार 14वें वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत प्राप्त धनराशि का 90 प्रतिशत धनराशि मूलभूत अनुदान (बेसिक ग्राण्ट) के रुप में तथा 10 प्रतिशत धनराशि निष्पादन अनुदान के रुप में अनुमन्य की गयी है। उक्त के क्रम में वित्तीय वर्ष 16–17 के लिये पंचायतीराज विभाग उ0प्र0 शासन द्वारा निर्गत 14वें वित्त आयोग के मार्ग दर्शक सिद्धान्त सम्बन्धी शासनादेश संख्या–234 / 33–3–2016–2 / 2016, दिनांक–18.02.2016 प्रस्तर–2 में निष्पादन अनुदान (परफार्मेंस ग्राण्ट) की अर्हता के सम्बन्ध में विस्तृत दिशा निर्देश निर्गत किये गये हैं। पुनश्च शासनादेश संख्या–846 / 33–3–2016–02 / 2016, दिनांक–31.03.2016 द्वारा परफॉर्मेन्स ग्राण्ट के वितरण एवं इससे सम्बन्धित निर्णय लेने हेतु निदेशक पंचायतीराज की अध्यक्षता में कमेटी गठित की गई। भारत सरकार, पंचायतीराज मंत्रालय के पत्र संख्या–एफ.13(41) एफ0एफ0सी0 / एफ0 सी0डी0 / 2015–16, दिनांक–15.03.2017 द्वारा उत्तर प्रदेश को परफॉर्मेंस ग्राण्ट 2016–17 हेतु 699.7529 करोड़ रूपये की धनराशि आवंटित की गई। निदेशक पंचायतीराज की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा चयनित ग्राम पंचायतों को उक्त धनराशि अवमुक्त कर दी गई।

2– शासन स्तर पर प्राप्त शिकायतों की जांच में प्रथम दृष्टया विसंगतिया प्रकाश में आने पर निदेशक पंचायतीराज के पत्र संख्या–8 / 2358 / 101II / 2019–20, दिनांक–28.06.2019 द्वारा उक्त सम्पूर्ण प्रक्रिया को निरस्त करते हुए पुनः आवेदन आमन्त्रित करने का अनुरोध किया गया। मा0 मुख्यमंत्री उ0प्र0 की अध्यक्षता में आयोजित समीक्षा बैठक में निर्गत निर्देश के क्रम में वर्ष 2016–17 की परफार्मेंस ग्राण्ट हेतु आवंटित धनराशि ग्राम पंचायतों से वापस मंगाकर पात्र ग्राम पंचायतों का चयन कर वितरण किया जाना है। उक्त के कम मे मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2016–17 के परफॉरमेन्स ग्राण्ट के वितरण हेतु निम्नानुसार कार्यवाही पूर्ण की जाएः–

भारत सरकार द्वारा निर्धारित निम्न दो मानकों को पूर्ण करने वाले ग्राम पंचायतों को ही अर्ह व पात्र घोषित किया जायेगा–

I. ग्राम पंचायतों को उस वर्ष के संपरीक्षित लेखे प्रस्तुत करने होंगे जो कि उस वर्ष, जिसमें ग्राम पंचायतों ने कार्य निष्पादन अनुदान का दावा प्रस्तुत किया है, से पिछले दो वर्षो (वर्ष 2013–14 व 2014–15) से अधिक पुराने न हो।

II. ग्राम पंचायतों को पूर्ववर्ती वर्ष की तुलना में अपने राजस्व में बढ़ोत्तरी दर्शानी होगी जैसा संपरीक्षित लेखाओं में दर्शाया गया है (वर्ष 2013–14 के सापेक्ष वर्ष 2014–15 की स्थिति)।

Amit Sri.

ग्राम पंचायतें सम्बन्धित वित्तीय वर्ष में स्वयं की आय का ग्राम निधि 1 अथवा राजस्व विभाग द्वारा ग्राम पंचायतों की सम्पत्तियों की नीलामी तथा अन्य प्राप्तियां जो कि ग्राम पंचायत की आय है और समेकित ग्राम निधि में जमा है का प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर ग्राम पंचायतों का इस अवधि का संशोधित ऑडिट (लेखापरीक्षा/सी0ए0) कराकर आवेदन कर सकेगी।

निष्पादन अनुदान वर्ष 2016–17 समस्त कार्यवाही हेतु निर्धारित समय सारणी निम्नवत् होगीः–

क्र. सं.	कार्यवाही का विवरण	निर्धारित तिथि
1.	ग्राम पंचायतों द्वारा निष्पादन अनुदान हेतु आवेदन किया जाना।	दिनांक 27.09.2019 से 07.10.2019
2.	जनपद स्तरीय समिति द्वारा परीक्षणोपरान्त पोर्टल पर अनुबन्ध 02 अपलोड किया जाना।	दिनांक 08.10.2019 से 15.10.2019
3.	जनपद द्वारा पोर्टल पर अपलोड के उपरान्त अनुबन्ध 02 व पात्र ग्राम पंचायतों के अभिलेख निदेशालय में उपलब्ध कराया जाना।	दिनांक 18.10.2019 तक
4.	निदेशालय द्वारा संकलित सूची व राज्य स्तर अनुबन्ध 02 शासन को प्रेषित किया जाना।	दिनांक 28.10.2019 तक

3– समस्त जनपदों के जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा निष्पादन अनुदान वर्ष 2016–17 के प्रचार–प्रसार एवं पुनः आवेदन प्रक्रिया की जानकारी देने हेतु जनपद स्तर पर समस्त सचिवों एव सहायक विकास अधिकारी (पं0) की एक दिवसीय कार्यशाला आयोजित की जायेगी, एवं समस्त विकास खण्डों में सहायक विकास अधिकारी (पं0) द्वारा समस्त प्रधानों की बैठक आयोजित की जायेगी।

4– पंचायतीराज विभाग के ऑनलाईन पोर्टल पर निष्पादन अनुदान की प्राप्ति हेतु ग्राम पंचायतों द्वारा आवेदन किया जायेगा तथा साक्ष्यों को डिजिटल फार्म में हमारी पंचायत पोर्टल पर अपलोड किया जायेगा। जिला पंचायत राज अधिकारियों द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि इस हेतु समस्त ग्राम पंचायतों को यूँजर आईडी व पासवर्ड उपलब्ध करा दिया जाये। ग्राम पंचायतें पोर्टल से आवेदन का प्रारुप डाउनलोड की सहायता से ऑनलाईन आवेदन करेंगी। प्रधान एवं सचिव का यह उत्तरदायित्व होगा कि नियत प्रारुप पर सही सूचनाएं तथा अभिलेख/साक्ष्य पोर्टल पर समयबद्ध रुप से अपलोड कर ऑनलाईन फीज करें।

5– जिला पंचायत राज अधिकारी सम्बन्धित सहायक विकास अधिकारी (पं0) के माध्यम से ग्राम पंचायतों द्वारा भरे गये ऑनलाईन आवेदनों की सूचनाएं अभिलेख एवं साक्ष्य परीक्षण हेतु मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति को उपलब्ध करायेंगे। समिति जिलाधिकारी के पर्यवेक्षण में त्रुटिहीनता व समयबद्धता के साथ कार्य करेगी, समिति का विवरण निम्नवत है–

1. मुख्य विकास अधिकारी – अध्यक्ष
2. अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत – सदस्य
3. जिलाधिकारी द्वारा नामित उपजिलाधिकारी – सदस्य
4. जिलाधिकारी द्वारा नामित लेखा व वित्त विभाग के अधिकारी – सदस्य
5. जिला पंचायत राज अधिकारी – सदस्य/सचिव।

समिति ग्राम पंचायतों की सूचना की सत्यता व अभिलेखों/साक्ष्यों का परीक्षण कर अर्ह व पात्र ग्राम पंचायतों की सूची पोर्टल पर अपलोड करेगी। समिति जिला पंचायत राज अधिकारी के पासवर्ड से अर्ह ग्राम पंचायतों को सूची पोर्टल से डाउनलोड कर प्रिन्ट करने के उपरान्त नियत प्रारुप पर समिति के सदस्यों के हस्ताक्षर एवं जिलाधिकारी से प्रतिहस्ताक्षरित कराकर पी0डी0एफ0 फाइल में पोर्टल पर अपलोड करेगी तथा दो प्रतियां निदेशक पंचायतीराज उ0प्र0 को उपलब्ध करायेगी।

A

जिला पंचायत राज अधिकारी का यह दायित्व होगा कि वे आवेदनकर्ता ग्राम पंचायत का समस्त अभिलेख साक्ष्य विवरण (जिसके आधार पर ग्राम पंचायत को पात्रता का निर्धारण किया है) जिला पंचायत राज अधिकारी कार्यालय में अभिरक्षित किया जाना सुनिश्चित करेंगे।

उपरोक्त प्राप्त सूचनाओं के समयबद्ध संकलन, राज्य स्तर पर जनपदों से प्राप्त अर्ह ग्राम पंचायतों की सूची के संकलन तथा नियमानुसार धनराशि का फॉण्ट तैयार करने हेतु निम्न प्रकार समिति का गठन किया जाता है:–

1.	निदेशक पंचायतीराज, उत्तर प्रदेश	–	अध्यक्ष
2.	मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी, पंचायतीराज निदेशालय	–	सदस्य
3.	उपनिदेशक(पं0), स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)	–	सदस्य
4.	उपनिदेशक(पं0)/नोडल अधिकारी, 14वॉ वित्त आयोग	–	सदस्य/सचिव

उपर्युक्त समिति निष्पादन अनुदान हेतु जनपद से अनुबन्ध 02 में प्राप्त अर्ह ग्राम पंचायतों को की सूची तैयार कर जारी मार्ग–निर्देश के अनुसार आवंटित धनराशि की ग्राम पंचायतवार फॉण्ट तैयार कर शासन को उपलब्ध करायेगी। कृपया उपर्युक्तानुसार निर्देशों का बिन्दुवार पालन करते हुए परफार्मेंस ग्राण्ट 2016–17 हेतु उक्त निर्देशों का समयबद्ध ढ़ग से अनुपालन सुनिश्चित करें।

भवदीय,

(बाबू लाल मीणा)
प्रमुख सचिव।

संख्या व दिनांक– तदैव।

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. सचिव पंचायतीराज, मंत्रालय भारत सरकार, नई दिल्ली।
2. सचिव वित्त मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
3. प्रमुख स्टॉफ अधिकारी, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
4. समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
5. समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उ0प्र0।
6. समस्त मण्डलीय उपनिदेशक (पं0), उ0प्र0।
7. समस्त जिला पंचायत राज अधिकारी, उ0प्र0।

आज्ञा से,

(प्रीति शुक्ला)
सचिव।

जिला पंचायत राज अधिकारी का यह दायित्व होगा कि वे आवेदनकर्ता ग्राम पंचायत का समस्त अभिलेख साक्ष्य विवरण (जिसके आधार पर ग्राम पंचायत को पात्रता का निर्धारण किया है) जिला पंचायत राज अधिकारी कार्यालय में अभिरक्षित किया जाना सुनिश्चित करेंगे।

उपरोक्त प्राप्त सूचनाओं के समयबद्ध संकलन, राज्य स्तर पर जनपदों से प्राप्त अर्ह ग्राम पंचायतों की सूची के संकलन तथा नियमानुसार धनराशि का फॉण्ट तैयार करने हेतु निम्न प्रकार समिति का गठन किया जाता है:–

1. निदेशक पंचायतीराज, उत्तर प्रदेश – अध्यक्ष
2. मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी, पंचायतीराज निदेशालय – सदस्य
3. उपनिदेशक(पं0), स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) – सदस्य
4. उपनिदेशक(पं0)/नोडल अधिकारी, 14वॉ वित्त आयोग – सदस्य/सचिव

उपर्युक्त समिति निष्पादन अनुदान हेतु जनपद से अनुबन्ध 02 में प्राप्त अर्ह ग्राम पंचायतों को की सूची तैयार कर जारी मार्ग–निर्देश के अनुसार आवंटित धनराशि की ग्राम पंचायतवार फॉण्ट तैयार कर शासन को उपलब्ध करायेगी। कृपया उपर्युक्तानुसार निर्देशों का बिन्दुवार पालन करते हुए परफार्मेंस ग्राण्ट 2016–17 हेतु उक्त निर्देशों का समयबद्ध ढ़ग से अनुपालन सुनिश्चित करें।

भवदीय,

(बाबू लाल मीणा)
प्रमुख सचिव।

संख्या व दिनांक– तदैव।

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. सचिव पंचायतीराज, मंत्रालय भारत सरकार, नई दिल्ली।
2. सचिव वित्त मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
3. प्रमुख स्टॉफ अधिकारी, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
4. समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
5. समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उ0प्र0।
6. समस्त मण्डलीय उपनिदेशक (पं0), उ0प्र0।
7. समस्त जिला पंचायत राज अधिकारी, उ0प्र0।

आज्ञा से,

(प्रीति शुक्ला)
सचिव।